ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-2* March- 2021
Innovation The Research Concept

विभाजन के पश्चात आगरा आए पंजाबी एवं सिन्धी समाज का जीवन संघर्ष

Life Struggle of Punjabi and Sindhi Society Came To Agra after Partition

Paper Submission: 03/03/2021, Date of Acceptance: 23/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

इन्द्रा
शोधार्थी,
इतिहास एवं संस्कृति विभाग,
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय,
आगरा, उ०प्र०, भारत

सारांश

भारत विभाजन के कारण 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी एवं सिन्धी विस्थापित होकर आगरा आए। पंजाबी एवं सिन्धी समाज ने विस्थापन के बाद भारत आने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। भारत आकर भी उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। वह अपने ही देश में शरणार्थी कहलाए गए। उनको पूरे भारत में विस्थापित होना पड़ा। इसी क्रम में वे आगरा पहुंचे। प्रारम्भ में यहां पर उन्हें शरणार्थियों के लिए स्थापित शिविरो में रहना पड़ा। आगरा के स्थानीय लोगों और स्वयं सहायता समूहो ने खाने की व्यवस्था की। प्रारम्भ में विस्थापितो के पास कोई भी संसाधन नहीं थे इसलिए वे सरकार पर आश्रित थे। सरकार ने इनके पुर्नवास के लिए अनेक प्रयास किए। वहीं दूसरी ओर इन लोगों ने भी अपने आपको पुर्नस्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत एवं लगन से प्रत्येक कार्य किए। इन लोगों ने सदा संघर्ष एवं मेहनत को ही महत्व दिया। यहीं कारण है कि इन्होंने कभी भी भीख नहीं मांगी। आगरा में इन्होंने कामों में भेदभाव नहीं किया। इसी कारण से किसी भी कार्य को करने में इन्होंने संकोच नहीं किया। इन्होंने अपने विकास के साथ–साथ आगरा का भी विकास किया। जो लोग आगरा शरणार्थी बनकर आए थे। आज वह लोग पुरूषार्थी की भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने अपने समाज एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए, इसके लिए आगरा में स्कूलों की स्थापना की गयी। अपने कई संगठन स्थापित किए। जिससे प्रभावित होकर आगरावासियों ने भी अपने संगठन स्थापित किए।

Punjabi and Sindhi migrated from West Pakistan to Agra in 1947 due to partition of India. Punjabi and Sindhi society faced many difficulties in coming to India after displacement. Even after coming to India, their problems did not end. She was called a refugee in her own country. They had to be displaced all over India. In the same sequence, they reached Agra. Initially, he had to stay in the camps set up for the refugees here. Local people and self-help groups from Agra made arrangements to eat. Initially, the displaced did not have any resources.Therefore, they were dependent on the government. The government made several efforts to rehabilitate them. On the other hand, these people also did everything with hard work and dedication to restore themselves. These people always gave importance to struggle and hard work. It is for this reason that he never begged.In Agra, he did not discriminate in work. For this reason, they did not hesitate to do any work. Along with his development, he also developed Agra. Those who came as Agra refugees. Today they are playing the role of man.They also made efforts to preserve their society and culture, for this, schools were set up in Agra. Established several organizations of his own. Due to this, the Agraites also set up their organizations.

मुख्य शब्द : भारत विभाजन, आगरा, पंजाबी एवं सिन्धी, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जीवन संघर्ष, सामाजिक संगठन।
Partition of India, Agra, Punjabi and Sindhi, Society, Culture, Economy, Life Struggle, Social Organization.

प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 में एक लम्बे संघर्ष एवं लाखों लोगो के बलिदान के पश्चात् भारत आजाद हुआ परन्तु विभाजन के साथ। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान को मुस्लिम बाहुल्य प्रदेशो से बनाया गया था। विभाजन के कारण एक बड़ी संख्या में भारत से मुस्लिम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिन्दू एवं सिख भारत आए। इस स्थानान्तरण में लगभग एक

करोड़ साठ लाख लोग दोनो तरफ से विस्थापित हुए[1] जिसमें 72,26,000 मुस्लिम भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए तथा 72,49,000 हिन्दु पाकिस्तान से भारत आए। यह स्थानान्तरण पूरी दुनिया में अब तक हुए जन स्थानान्तरणों में सबसे बड़ी संख्या में हुआ। इजराइल जो कि एक नया देश बना उस वक्त जितने लोग विस्थापित हुए उसका दस गुना अधिक स्थानान्तरण भारत में हुआ था। इसी प्रकार विश्व युद्व के बाद जो लोग पूर्वी यूरोप से विस्थापित हुए उनकी संख्या यहॉ के शरणार्थियों की तुलना में एक चौथाई भी नहीं थी।[2] ये स्थानान्तरण न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे तीव्र गति से होने वाला जन स्थानान्तरण था। 15 जून 1948 ई0 तक 55 लाख हिन्दू पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य प्रान्तो से भारत पहुचे थे, इस प्रकार 58 लाख मुस्लिम पूर्वी पंजाब, दिल्ली, यूपी, अजमेर, मारवाड़, अलवर, भरतपुर, ग्वालियर और इन्दौर से पाकिस्तान गये थे। इस समय 15 लाख हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए।[3] इतनी ही संख्या में पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गए। यह स्थानान्तरण अविभाजित भारत की कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत था। इसी समय में 4 लाख सिन्धी पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने के अपनी बारी का इन्तजार कर रहे थे।[4]ये स्थानान्तरण यातायात के सभी साधनों के द्वारा हुआ। इस जन स्थाानान्तरण में सबसे बड़ी भूमिका रेलवे ने निभाई। सरकार के द्वारा 27 अगस्त से 6 नवम्बर 1947 तक कई शरणार्थी रेल चलाई गयी। लगभग 27,99,368 शरणाथियों ने 673 रेलो के द्वारा बार्डर पार किए। इसके अलावा 427000 हिन्दू और 217000 मुस्लिम शरणार्थियो ने मोटर परिवहन के द्वारा सैनिकों की सहायता से सरहद पार की। इसी क्रम में 18 सितम्बर से 29 अक्टूबर 1947 के 42 दिनों में ही लगभग 24 हिन्दू काफिलों ने पैदल यात्रा की, जिसमें 8,49,000 लोग थे और उनके साथ सैंकड़ों बैल गाड़ियां और हजारों मवैशी थे जो भारत आए।[5]

भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए इसने साम्प्रदायिक रूप ले लिया और दंगे हुए। साम्प्रदायिक दंगे विभाजन के पूर्व से ही हो रहे थे परन्तु जन स्थानान्तरण के समय इन दंगों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इन दंगों में छः लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए।[6] जबकि माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को आश्वस्त किया था कि विभाजन के कारण देश में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होगे परन्तु उनका विश्वास मिथ्या निकला और जब दंगे हुए तो वह मूक दर्शक बनकर रह गए।[7] प्रशासन की ओर से इन दंगों को रोकने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए गए। ब्रिटिश कर्मचारी सत्ता के हस्तान्तरण के कारण अपनी जिम्मेदारियों से उदासीन हो गए थे, उनकी निष्क्रियता से भी दंगों में वृद्धि हुई। सभी महत्वपूर्ण नेता इन दंगों को रोकने में असफल रहे नेताओं को यह ज्ञान नहीं था कि विभाजन साम्प्रदायिक दंगों का रूप ले लेगा और इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा।[8] गांधीजी एक तरफ दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर आर.एस.एस. वाले हिन्दुओं को संगठित कर मुस्लिम समाज पर आक्रमण करवा रहे थे। मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा दोनों ही इन साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रही थीं। लूटपाट, हत्या, बर्बरता, हिंसा, घृणा और अमानवीयता का ऐसा दौर चला, जिसने समूचे मानव समुदाय को स्तब्ध कर दिया था। नवनिर्मित राष्ट्र की सीमा पर हो रही नृशंस बर्बरता ने लाखों लोगो को अपने ही घर में विदेशी बना दिया था।यह पहला अवसर था जब शासक के साथ रियाया को भी स्थानान्तरण करने पर मजबूर किया जा रहा था। इस स्थानान्तरण और नर संहार ने पूरी मानवता को झकझोर के रख दिया था। लोगों की हत्याए हो रही थी, उनके साथ घृणित अपराध घटित हो रहे थे। नेताओं की महत्वकांक्षाओं और स्वार्थ ने मानवता को उसके पतन पर लाकर खड़ा कर दिया। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तब इन विभाजित प्रान्तों के लोग भीषण आपदा से जूझ रहे थे।

पाकिस्तान से 55 लाख पंजाबी एवं सिन्धी भारत पहुंचे।[9] पंजाबी समाज के लोग विभाजित पंजाब पहुंचे। उसके बाद वह देश के अन्य हिस्सों में गए। परन्तु सिन्धी समाज के पास कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां उनकी भाषा बोलने वाले लोग हों क्योंकि पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया था। पंजाबी एवं सिन्धी समाज के स्थानान्तरण में यहीं सबसे बड़ा अन्तर था। पंजाब का विभाजन हुआ परन्तु सिन्ध का नहीं। पंजाबी पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब पहुंचे और यहां बड़ी संख्या में शरणार्थी इक्खट्टे हो गए। दिसम्बर 1947 के अन्त तक अकेले पूर्वी पंजाब में 7,21,396 शरणार्थियों को 65 शिविरों में आश्रय दिया गया।[10] बाद में पंजाबी समाज देश के अन्य हिस्सों में विस्थापित हुआ। परन्तु सिन्धी समाज के साथ यह बड़ी विडम्बना थी की वह कहां जाए इसीलिए भारत आए 12 लाख सिन्धियों को पूरे देश में बिखर जाना पड़ा। पंजाब का पूरा बार्डर भारत से लगता था परन्तु सिन्धियों के लिए भारत पहुंचने के केवल दो ही मार्ग थे। पहला रेलगाड़ी द्वारा मरूस्थल पार कर जोधपुर और दूसरा करांची से समुद्र के रास्ते मुम्बई या जामनगर आता था। रेलगाड़ी और जहाज कम थे और लोग ज्यादा इसलिए करांची में अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता था। सफर असुविधाजनक था पर बारह लाख सिंधी मुंबई और जोधपुर पहुंच गए। वह एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जहां की न तो उन्हें बोली आती थी और न ही रहन–सहन का पता था।

आगरा में शरणार्थी समुदाय

आगरा में सिन्धी एवं पंजाबी आए। पंजाबी समाज के लोग सर्वप्रथम पंजाब आए जब वहां शरणार्थियों की संख्या अत्यधिक हो गयी तो वहां से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से रोजी–रोटी की तलाश में आगरा तक पहुंच गए। इसी प्रकार सिन्धी समुदाय के लोग सर्वप्रथम मुंबई और जोधपुर आए उसके बाद दिल्ली और दिल्ली से आगरा आकर यहीं बस गए। 1951 की जनगणना के अनुसार आगरा पहुंचे शरणार्थियों की संख्या 44,695 थी जोकि उत्तर प्रदेश में पहुंचे कुल शरणार्थियों का 9.3 प्रतिशत था।[11] आगरा में पहुंचे शरणार्थियों में पंजाबियों की संख्या अधिक थी, सिन्धी कम संख्या में थे। गागनदास रमानी जी के अनुसार आगरा पहुंचे सिन्धी समाज की संख्या 15,000 से अधिक थी। आगरा में आए

3000 सिन्धी परिवार को पूरे आगरा में बसाया गया। ज्यादातर सिन्धी परिवार दिल्ली एवं राजस्थान के रास्ते से रेलों के द्वारा आगरा कैंट एवं आगरा फोर्ट स्टेशन पर पहुंचे। सर्वप्रथम यह लोग स्टेशनों पर ही रहने लगे। इन लोगों के लिए भोजन का प्रबन्ध करना प्रमुख तात्कालिक समस्या थी। प्रारम्भ में आगरा के धनवान लोगों और स्वयं सेवी संगठनों ने धन एकत्रित कर भोजन की व्यवस्था का भार वहन किया। दाल–चावल पकाकर स्टेशनों पर रूके हुए शरणार्थियों को पहुंचाए। बाद में उन्हें भोजन सामग्री प्रदान की गयी। इससे वह स्टेशनों पर अपना खाना खुद पकाने लगे।[12]

स्थानीय प्रशासन ने स्टेशनों के बाहर सरकारी स्तर पर शरणार्थी शिविरों का प्रबंध किया। शिविरों में इन लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गयी, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, तेल, दूध आदि प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता था। पहनने के लिए कपड़े, ओढ़ने के लिए कम्बल आदि मुफ्त में प्रदान किए जाते थे। चिकित्सा सेवाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। कुछ समय पश्चात उनको मुफ्त में समान देना बन्द कर दिया गया। उनके लिए स्थाई आवासों की व्यवस्था शुरू की गयी। आगरा से बढ़ी संख्या में मुस्लिम समाज पाकिस्तान विस्थापित हुआ था, उनके मकान खाली पड़े थे वे शरणार्थियों को आवंटित कर दिए। इसके लिए कस्टोडियन नियुक्त किए गए। कस्टोडियन ने मुस्लिमों द्वारा छोड़े गये भवन, जमीन, जायदाद आदि की छानबीन की और इसके रिकॉर्ड तैयार किए, उसके पश्चात् शरणार्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान, भूमि, आदि के दस्तावेजों की सत्यता की जांच की गयी और उनको खाली पड़े आवासीय भवन हस्तांतरित कर दिए गये।

आगरा के मुस्लिम इलाकों काला महल, मोती कटरा, पटेल नगर, शाहगंज, पन्नी गली, नूरीदरवाजा कोतवाली आदि क्षेत्रों के खाली पड़े मकानों में सिंध के विस्थापितों को बसाया गया। यहीं कारण है कि वर्तमान में आगरा नगर में सिन्धियों की बस्तियां मुस्लिम मोहल्लों के बीच अथवा उनके आस पास केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त पंजाबी समुदाय को मोती कटरा, नाई की मंडी, ईदगाह कॉलोनी, मास्टर प्लान रोड, खोजा की हवेली, हींग की मण्डी आदि स्थानों पर बसाया गया। हींग की मंडी में स्थित एक गली को पंजाबी गली ही कहा जाने लगा। इन मकानों के आवंटन के बाद भी बड़ी संख्या में शरणार्थी बगैर मकानों के रह गए। इनके घरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 112 एक कमरे के मकान, 200 मकान कम दुकान और 42 फ्लैट बनाकर दिये।[13] इसके अलावा जीवनी मंडी में यमुना किनारे खाली पड़े विशाल भूखण्ड पर कृष्णा कॉलोनी नामक आवासीय बस्ती बसाई गयी। इस कॉलोनी में सिंधी समुदाय के लिए चार सौ घर बनाए गए। तब यह आगरा की पहली और एक मात्र सिंधी कॉलोनी थी। पंजाबियों के लिए लाजपत कुंज एवं मालवीया कुंज में कॉलोनी का निर्माण किया और यहां पर 120 पंजाबी परिवारों को बसाया गया।[14]मालवीया कुंज कॉलोनी को रिफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता था। सरकार द्वारा बनाए गए मकानों में 'A' टाइप 'B' टाइप 'C' टाइप और शॉप कम हाउस चार श्रेणियां थी। 'A' टाइप के 250 मकान स्वादी शहर में 'B'टाइप के मकान बल्केश्वर में 'C'टाइप के मकान भोगीपुरा में और शॉप कम हाउस यमुना पार अलीगढ़ और फिरोजाबाद हाईवे पर बनाकर दिये गये थे।[15] इन मकानों को बनाने के लिए नजूल जमीनों का अधिग्रहण किया गया और 4% की दर से विस्थापितों को ऋण प्रदान किए गए ताकि यह अपने मकान बना सके। कहीं–कहीं सरकार ने मकान बनाकर भी दिए तो उनसे किराया लिया गया। मालवीया कुंज कॉलोनी के मकान विस्थापितों को किराए पर ही दिए गए थे जिसका किराया यह लोग आज तक भरते हैं। कुछ विस्थापितों को जमीन सरकार ने ऐसे गांवों में प्रदान की जहां जाना उनके लिए सम्भव नहीं था। राजेन्द्र कुमार डंग (85 वर्ष) के अनुसार सरकार ने जो जमीन मकान के लिए उनके परिवार को दी थी वह बहुत दूर किसी गांव में थी जहां उनके लिए जाना सम्भव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी माता के गहने बेचकर यहीं पर एक छोटे से आवास की व्यवस्था की थी।

सरकार इन विस्थापितों के रहने की व्यवस्था कर रही थी। परन्तु सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। ये लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आए थे। इनके पास कुछ नहीं था जिससे ये लोग कारोबार कर सके। प्रारम्भ में इन लोगों ने छोटे–छोटे काम जैसे बूरा काटना, पल्लेदारी करना आदि किए। सिन्धी समाज के लोगों ने फेरी करना, फड़ लगाने का काम किया। ये लोग थोड़ा सा सामान लेकर गली, मुहल्लों में आवाज लगाकर सस्ता सामान बेचते थे। इसी प्रकार बाजारों में पक्की पुश्तैनी दुकानों के बाहर फड़ लगाने या ठेल खड़ी करने की अनुमति लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी–छोटी वस्तुऍं निहायत ही सस्ते दामों पर बेचते थे। उन दिनों भारत में गरीबी के हालात थे। प्रत्येक व्यक्ति सस्ता और टिकाऊ घरेलू सामान चाहता था। मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गयी दुकानें इन लोगों को आवंटित की गयी परन्तु इनमें माल भरने का पैसा नहीं था। बाद में छोटे–छोटे काम करके तथा सरकार से ऋण प्राप्त करके इन्होंने इन दुकानों को चालू किया। वीरूमल (80) के अनुसार उन्हें शाहगंज में मकान मिल गया था परन्तु आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण उन्होंने अपना वो मकान बेंच दिया और रोजगार शुरू किया और ये लोग किराये पर रहने लगे थे। सरकार ने विस्थापितों को हॉस्पीटल रोड पर काठ की दुकाने बना कर दी बाद में इन लोगों ने इन्हें पक्का बना लिया। वर्तमान में ये हॉस्पीटल रोड सिन्धी बाजार के नाम से जाना जाता है। बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि अब केवल पक्की दुकाने ही बना कर दी जाएगी।[16] इनको 304 दुकाने सरकार ने दरेसी, हींग की मण्डी, राजामण्डी आदि स्थानों पर बनाकर दी।

आगरा में विस्थापित समुदाय ने अधिकतम गैर कृषि व्यवसायों को अपनाया। वे प्रारम्भ में छोटे व्यापार एवं छोटे खुदरा व्यापार में लगे। सर्वप्रथम चमड़े के सामान, कपड़े, किराने आदि कामों को करना प्रारम्भ किया। बड़ी संख्या में सिन्धी समाज के लोगों ने छोटे आवासीय घरों और रेस्टोरेंन्टों को चलाने का कार्य किया।[17] प्रारम्भ में वह दुकान के बाहर फड़ लगाते थे तो उन्हें दुकानदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। परन्तु बाद में उन्होंने अनुमति के

बदले दुकानदार को पैसे देना शुरू कर दिया। सिन्धी समाज ने आगरा में एक नई परम्परा की शुरूआत की जिसे 'पगड़ी' व्यवस्था कहा जाता है। इसमें दुकान के मालिक के कुछ रकम दे दी जाती थी दुकान का मालिकाना हक उसी का रहता है परन्तु दुकान चलाने का अधिकार 'पगड़ी' देने वाले का हो जाता था। वर्तमान में यह पगड़ी प्रथा नियम बन गई है। गोली, टॉफी, बिस्कुट, टेस्ट आदि कन्फेक्शनरी वस्तुओं का उत्पादन वितरण सिंधी समुदाय की आगरा को विशेष देन कही जा सकती है। कन्फेक्शनरी के अतिरिक्त दवाईयों का थोक व्यापार, जूता, होजरी, फल, प्लॉस्टिक, चमड़ा आदि के प्रमुख कारोबार पर इन्हीं का प्रायः एकाधिकार है। खुदरा व्यापार में परचूनी तथा सब्जी–भाजी की दुकानदारी पर भी सिंधी समुदाय का वर्चस्व हो गया है। इसी प्रकार आगरा के जूता उद्योग पर पंजाबी उद्यमियों तथा व्यापारियों का लगभग एकाधिकार ही हो गया। इस समुदाय ने आगरा के जूता कारोबार को नई ऊँचाईयां प्रदान की है।। पंजाबी समाज ने जूता निर्माण का मशीनीकरण किया और विश्व के बाजार में आगरा के जूते को स्थान दिलाया। जूता उद्योग के अतिरिक्त यातायात और पर्यटन के व्यापार में भी पंजाबी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ढाबा संस्कृति पंजाबियों के रक्त में ही थी, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट व होटल उद्योग में एक महत्वपूर्ण पहचान बना ली।

सरकार द्वारा विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधायों में शैक्षिक सहायता, टेक्नीकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऋण और अन्य प्रकार की सहायता शामिल थी जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता करती। सरकार ने लगभग 11,25,116 रूपये 1959 ई0 तक विस्थापित लोगों के मकान बनाने, शिक्षा की व्यवस्था करने नये उद्योग शुरू करने आदि में खर्च किए।[18] सरकार ने 107951 रूपये बुजुर्ग, कमजोर और विधवाओं की देखभाल के लिए अलग से प्रदान किए गए। ताकि इन लोगों की उचित देखभाल हो सके। सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 4000 रूपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए। बच्चों को अहित न हो और उनको उचित शिक्षा उपलब्ध करवायी जा सके। इसी प्रकार 25,665 रूपये उच्च शिक्षा पर खर्च किए गए। सरकार विस्थापितों की हर प्रकार से मदद कर रही थी। रहने के लिए घर बनाकर देना, दुकाने देना, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा उपलब्ध कराना, उपेक्षित महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, अकेले रह गए बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करना आदि। इसके अलावा सरकार ने 85,50,218 रूपये आगरा में विस्थापित समुदाय को क्षतिपूर्ती एवं पुनर्वास के लिए प्रदान किए गए। ताकि ये लोग समय के साथ पुर्नस्थापित हो सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ कर सामान्य जीवन प्रारम्भ कर सके। गागनदास रमानी के अनुसार सरकार ने विस्थापितों को क्षतिपूर्ति 10,000 प्रति परिवार प्रदान की थी। सुभाष रल्हन के अनुसार 4000 रूपये मकान बनाने के लिए दिए गए थे।

प्रारम्भ में तो विस्थापित लोग केवल रोजी–रोटी एवं रहने की समस्या से ही जूझरहे थे इसलिए वह संस्कृति एवं समाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा समय बीतने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तब उन्होंने संस्कृति को संजोय रखने के प्रयास शुरू किए। सिन्धी समाज ने सिन्धियत को जीवित रखने के लिए सबसे पहला कार्य सिन्धी समाज के स्कूल खोलने का किया। 01.11.1948 को भगत कंवराम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी जिसने भगत कंवराम माध्यमिक विद्यालय, भगत कंवराम गर्ल्स जूनियर स्कूल आदि की स्थापना की।[19] इसके बाद नवाबशाह एजूकेशनल सोसायटी आगरा के द्वारा तीन स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें– केवलराम गुरूमुखदास इंटर कॉलेज, स्वामी लीलाशाह आर्दश सिंधी इंटर कॉलेज शाहगंज और तुलसी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज शाहगंज है। इन स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य सिंधियत को जीवित रखना था। सिन्धी भाषा इन स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। सिन्धी समाज ने आगरा में श्री कृष्ण गौशाला शाहगंज की स्थापना की यह कार्य उन्होंने अपने गुरू लीलाशाह महाराज के आदेशानुसार किया। सिन्धी समाज ने अपने साहित्य को बचाने के लिए सिंधु साहित्य मण्डल की स्थापना की। सिन्धी समुदाय ने अपने झगड़े स्वयं सुलझाने तथा पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सिन्धी पंचायतों की स्थापना की। जिसमें सिन्धी सेन्ट्रल पंचायत के अतिरिक्त 33 अन्य पंचायते हैं जो पूरे शहर में कार्यरत है। सिन्धियों ने सिन्धी धर्मशाला की स्थापना की जोकि काला महल में थी। वर्तमान में 12 धर्मशालाए पूरे आगरा शहर में है। सिन्धी समाज अपनी संस्कृति को बनाए रखने में प्रयासरत है। सिन्धी समाज ने ही सर्वप्रथम शहर में प्याऊ स्थापित किए ताकि लोगों को निशुल्क जल उपलब्ध हो सके। सिन्धी समाज समाजोत्थान के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कहा जाता है कि सिन्धी कभी हार नहीं मानते। उनमें आपस में एकता तथा अपने बल पर आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत है। आगरा शहर में शायद ही किसी ने किसी सिन्धी को भिक्षा मांगते देखा हो। सिन्धी समाज कम मुनाफे पर काम कर लेता है। वह कहते है कि 'बेकार से बेगार भली'।

वहीं दूसरी ओर पंजाबी समाज ने भी आगरा में कई स्कूल खोले। जैसे–खालसा इण्टर कॉलेज प्रतापपुरा, के.जी. इण्टर कॉलेज आदि। पंजाबियों की दान देने की क्षमताओं ने कई धार्मिक संस्थाओं को जन्म दिया। जिसमें गीता भवन, सूर्य नगर समाधि, आर्य समाज, नाई की मण्डी, आर्य समाज, विभव नगर, फकीर चंद धर्मशाला, सनातन धर्म मन्दिर शहजादी मण्डी आदि में पंजाबियों का अतुल्य योगदान रहा। इसी दिशा में दो बड़ी पंजाबी संस्थाऐं पंजाबी एसोसिएशन तथा पंजाबी सभा की स्थापना की गयी थी। बच्चों को पंजाबी संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य से पंजाबी संगठनों द्वारा वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगरा शहर में पंजाबी सभा की 32 शाखायें सक्रिय है।[20] पंजाबी सभा लोहड़ी एवं बैशाखी जैसे त्यौहार को बड़ी धूम–धाम से आयोजित करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मेरे इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य विस्थापित समाजो की विस्थापन के दौरान आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं से समाज को अवगत करना है।

2. आगरा आए पंजाबी एवं सिन्धी समाज ने आगरा में अपने को पुर्नस्थापित करने के जिस प्रकार का संघर्ष किया है उसको प्रकाश में लाना है।
3. पुर्नस्थापित होने के बाद अपने एवं आगरा के विकास के लिए प्रारम्भिक स्तर पर जो कार्य किए हैं, उनको उजागर करना।
4. सरकारी प्रयासो एवं स्थानीय लोगों के सहयोग पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना।

निष्कर्ष

भारत विभाजन के पश्चात पंजाबी एवं सिन्धी समाज आगरा में शरणार्थी बनकर आए थे। पंजाबी एवं सिन्धी समाज के अथक प्रयासों, कड़ी मेहनत, संघर्षमय जीवन ने आज उन्हें पुरूषार्थी बना दिया है। जो लोग प्रारम्भ में आगरा के स्थानीय लोग एवं सरकार पर निर्भर थे वह आज आगरा के सबसे बड़े करदाता है। आगरा के पुश्तैनी उद्योग जूता उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं वर्गो द्वारा किया गया है। इतना संघर्षमय जीवन उनका था परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी हमेशा मेहनत करने को प्राथमिकता दी कभी भिक्षा नहीं मांगी। कभी किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं की केवल अपनी हिम्मत तथा साहस के बल पर ये समाज आगरा के अग्रणि लोगों में शामिल हो गए। आगरा में प्राचीनकाल से स्थापित वैश्य समाज जो कि आगरा में सबसे सबल समाज समझा जाता है को पंजाबी एवं सिन्धी समाज ने दोयम दर्जे पर ला दिया है। वर्तमान में आगरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पंजाबी एवं सिन्धी समाज। आगरा उनके लिए अजनबी शहर था। यहां की भाषा, लोग, संस्कृति आदि से वह बिल्कुल अनभिज्ञ थे, परन्तु आज की स्थिति ऐसी है कि दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से रच–बस गए हैं। यह कह पाना सम्भव ही नहीं है कि यह दोनों समाज आगरा के ही नहीं बल्कि बाद में विस्थापित होकर आए है। इन दोनों समाजों ने आगरा को और आगरावासियों ने इन्हें पूर्ण रूप से अपना लिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मोसले, लिमोनाई– भारत में ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिन, आत्माराम एण्ड सन्स, 2009, लखनऊ, पृ0 सं0– 198*
2. *कॉलिन्स एण्ड लापिएर– आजादी आधी रात को (अनुवादित मनहर चौहान), अनु प्रकाशन, जयपुर, 2004, पृ0सं0– 230–51*
3. *आफ्टर पार्टिशन, मार्डन इण्डिया सीरीज–7, द पब्लिकेशन डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली–1948, पृ0सं0– 48*
4. *वहीं, पृ0सं0– 48*
5. *वहीं, पृ0सं0– 52–53*
6. *मोसले, लिमोनाई– भारत में ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिन, आत्माराम एण्ड सन्स, 2009, लखनऊ, पृ0 सं0– 198*
7. *आजाद, मौलाना अबुल कलाम– आजादी की कहानी, ऑरियन्ट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2018, पृ0सं0– 212*
8. *कॉलिन्स एण्ड लापिएर– आजादी आधी रात को (अनुवादित मनहर चौहान), अनु प्रकाशन, जयपुर, 2004, पृ0सं0– 207*
9. *आफ्टर पार्टिशन, मार्डन इण्डिया सीरीज–7, द पब्लिकेशन डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली–1948, पृ0सं0–61*
10. *सत्या, मूर्ति राय– पंजाब सिन्स पार्टिशन, नई दिल्ली, 1986, पृ0सं0– 1441*
11. *जोशी, ई0बी0, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, आगरा, 1965, पृ0सं0– 79*
12. *शर्मा, रमाशंकर– आगरा के बदलते चेहरे, अरविन्द विवेक प्रकाशन, 2014, पृ0सं0– 149–50*
13. *जोशी, ई0बी0– उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, आगरा, पृ0सं0– 79*
14. *शर्मा, रमाशंकर– आगरा के बदलते चेहरे, अरविन्द विवके प्रकाशन, 2014, पृ0सं0– 157*
15. *क्षेत्रीय अभिलेखागार आगरा, लिस्ट नं0– 2, फाइन नं0– 14*
16. *क्षेत्रीय अभिलेखागार आगरा, लिस्ट नं0– 3, फाइन नं0– 5*
17. *जोशी, ई0बी0– उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, आगरा, पृ0सं0– 79*
18. *जोशी, ई0बी0– उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, आगरा, पृ0सं0– 79*
19. *घनश्यामदास जेसवाणी की डायरी, पृ0सं0– 41*
20. *शर्मा रमाशंकर– आगरा के बदलते चेहरे, पृ0सं0– 159*